रेल कर्मचारियों को मुआवजा

576. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन यात्रियों को 50,000 रुपए का भुगतान करना होता है जो रेलगाड़ी दुर्घटनाओं में मर जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ड्यूटी पर काम कर रहे रेल कर्मचारी (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) रेलवे के नियमों के अन्तर्गत उस अवस्था में मुआवजे के हकदार हैं जब वे दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं;

(ग) क्या ड्यूटी पर काम करने वाले उन रेल कर्मचारियों जो रेल दुर्घटना में मर जाते हैं, के परिवारों को केवल रेलवे के नियमों के अन्तर्गत मआवजा मिलता है और उनको उतना भुगतान नहीं किया जाता है जैसा कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित है,

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे रेल कर्मचारियों जो रेल दुर्घटना में मर जात हैं, के परिवार को भी मानवीय आधार पर मुआवजा देने का है और अन्य श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को भी ड्यूटी के समय दुर्घटनाओं में उनके अन्तर्ग्रस्त हो जाने अथवा उनमें उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मुआवजा देने का है जिनको इस समय मुआवजा अदा नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समय-समय पर यथा-संशोधित रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के उपबन्ध के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-क में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार यात्री गाड़ी दुर्घटना में मृत एक यात्री के लिए उसके आश्रित/आश्रितों को 50,000 रुपए तक की रकम का भुगतान किया जाता है ।

(ख) और (ग) जो रेल कर्मचारी गाड़ी में ड्यूटी पर होते हैं और अपने कार्य नियोजन के कारण और उसके दौरान दुर्घटना में चोट लगने के परिणामस्वरूप मारे जाते हैं या अशक्त हो जाते हैं, उनके मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ही क्षतिपूर्ति देय होती है ।

जहां किसी विशिष्ट मामले में, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम लागू नहीं होता या जहां यह समझा जाता है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति अपर्याप्त है, वहां रेलवे नियमों में उस रेल कर्मचारी के परिवार को क्षतिपूर्ति उपदान देने की भी व्यवस्था है जो अपनी ड्यूटी करते हुए गाड़ी या रेल इंजनों के संचालन में अपनी असावधानी या दुराग्रह से भिन्न अन्य कारणों से हुई दुर्घटना में मारा जाता है । गुण-दोष के आधार पर वैयक्तिक मामलों में एक मुश्त अनुग्रह भुगतान पर भी विचार किया जाता है ।

गाड़ियों के चालन से प्रत्यक्ष: असम्बद्ध जो अन्य रेल कर्मचारी ड्यूटी पर या छुट्टी में यात्रा करते समय गाड़ी दुर्घटना के कारण घायल हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82क के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति के पात्र होते हैं ।

(घ) क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामले में गाड़ी कर्मियों सहित गाड़ी में ड्यूटी पर यात्रा करने वाले रेल कर्मचारियों को दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी के यात्रियों के समकक्ष मानने का एक प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किया गया है । विधि मंत्रालय द्वारा विधीक्षा के बाद इस प्रस्ताव को संशोधित रेल अधिनियम के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल में

शामिल कर लिया गया है । इस समय इस बिल की जांच-पड़ताल हो रही है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Non-aligned efforts to bring cease-fire in Iran-Iraq war

577. SHRI K. PRADHANI:
SHRI K. KUNHAMBU:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Foreign Minister of India and five other non-aligned countries, along with a Palestine Liberation Organisation (PLO) representative have been asked to extend their co-operation to arrange a cease-fire in the five-week-old Gulf war between Iraq and Iran; and

(b) if so, the details regarding India's performance in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) and (b). The Foreign Ministers of five non-aligned countries (including India) and a representative of PLO met in Belgrade (November 2—5) in pursuance of a decision taken by the Non-Aligned Coordinating Bureau in New York. The Governments of Iran and Iraq had indicated acceptance of the efforts being made by a Committee of the Non-aligned Nations comprising of Algeria in addition to the above-mentioned countries. A Committee at the level of foreign Ministers of the same countries was to be constituted at a meeting in Belgrade and to proceed to Baghdad and Teheran but differences arose between Iran and Iraq over the inclusion of Algeria in the Committee. Under the circumstances, the meeting in Belgrade concluded after issuing an appeal to Iran and Iraq for conveying their agreement to the constitution and functioning of the Goodwill Committee.

India played an active role in the deliberations at Belgrade and hopes to play an equally effective role in all further moves connected with the non-aligned initiative.

Alleged sinking of a cargo ship "Vijaya Jyoti"

578. SHRI SHIV KUMAR SINGH THAKUR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a cargo ship "Vijaya Jyoti" sank at Indira Docks, Bombay, as reported in the 'Indian Express' dated 16th October, 1980;

(b) if so, whether the findings of Enquiry Committee, if any, appointed by Government have been received;

(c) if so, the main causes of its sinking and human life and property lost as a result thereof; and

(d) the steps proposed to be taken to avoid sinking of ships at the docks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir. Cargo Ship "Vijaya Jyoti" capsized at Indira Dock on 15th October, 1980.

(b) The preliminary enquiry is to be conducted by an officer of the Bombay Port Trust. He has yet to start his work.

(c) There was no loss of human life. The main causes of its sinking, the extent of loss of property etc. would be known after the enquiry is held.

(d) Steps to avoid recurrence of such an incident will be devised after the report of enquiry is available.

Pakistan Refusal to Permit Sikh Pilgrims

579. SHRI SHIV KUMAR SINGH THAKUR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Pakistan has refused